भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.2014/CIS/UTS-cum-PRS/Deleg./3 New Delhi, dated 18-09-2014

The General Managers,
All Indian Railways.

Subject: Installation and commissioning of combined UTS-cum-PRS terminals.

* * *

Please refer to the existing policy on UTS-cum-PRS as circulated vide Board's letter no.2005/C&IS/UTS-cum-PRS/Policy dated 28-03-2007. Proposals for such locations are now being sent in large numbers by zonal railways. Therefore, a need has been felt to ease and speed up the process of sanctioning. Keeping this in view, Board has decided to delegate powers to sanction UTS-cum-PRS terminal/s to zonal railways.

2. The following guidelines may be adopted while considering combined UTS-cum-PRS terminals at justifiable locations:

(i) At all stations, irrespective of class, having 'manual reservation quota' where UTS counter has been introduced or is sanctioned, the same may be converted to combined UTS-cum-PRS terminal.

(ii) Existing railhead PRS Centres may be converted to combined UTS-cum-PRS as per instructions in para (xi) of the extant PRS policy vide letter no.2008/C&IS/New PRS Policy/15 dated 04-10-2013.

(iii) The UTS-cum-PRS terminal should be manned by Commercial Clerk/ASM/ECRC, who can be trained in the Division for operating the combined terminal.

(iv) Combined UTS-cum-PRS terminal(s) may be introduced in the existing booking office with suitable modification in the window setting for better management of intending passengers and queues.

(v) Creation of UTS-cum-PRS facility should not normally cost any additional expenditure, except for provision of additional printers or printer switches etc.

(vi) Zonal Railways may decide to nominate one or more terminals as UTS-cum-PRS terminals, to have common or separate queues for the two streams for disbursal of respective tickets and need of timings being staggered to suit the convenience of both the streams depending upon local needs.

contd...2...

3. Zonal Railways may sanction conversion of UTS terminal to UTS-cum-PRS terminals subject to the following:

a) Personal approval of GM along with concurrence of FA&CAO of the concerned zonal railway will be required.

b) All the locations will be sanctioned as per the terms and conditions laid out in this policy, as may be revised by Board from time to time."

4. This supersedes Board's letter no.2005/C&IS/UTS-cum-PRS/Policy dated 28-03-2007.

This issues in consultation with Comml Dte and with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Rajiv Gupta)
Director/CIS)

No.2014/CIS/UTS-cum-PRS/Deleg./3 New Delhi, dated 18-09-2014

Copy to:

1. The FA&CAOs, All Indian Railways.
2. Principal Directors of Audit, All Indian Railways.
3. The Dy. Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

For Financial Commissioner/Railways

Copy to:

1. CCMs, All Indian Railways.
2. EDPM, Railway Board.
3. F/X-II and Budget branches of Railway Board.

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड /Railway Board
Issued with enclosure
Signature
जारी की तिथि
Date of Issue

क्र.9

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं.2014/सीआइएस/यूटीएस-कम-पीआरएस/डेलेग./3 नई दिल्ली, दिनांक 14-10-2014

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

विषय: संयुक्त यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल की संस्थापना और उसकी शुरुआत करना.

* * *

कृपया बोर्ड के दिनांक 28-03-2007 के पत्र सं. 2005/सीएंडआइएस/यूटीएस-कम-पीआरएस/पॉलिसी का अवलोकन करें जिसके तहत यूटीएस-सह-पीआरएस की मौजूदा नीति निर्धारित की गई है. क्षेत्रीय रेलों से अब यूटीएस-सह-पीआरएस की स्वीकृति के लिए बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं. अत: इस कार्य को सुगम बनाने और इसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता महसूस की गई है. इस बात के मद्देनज़र बोर्ड ने यह विनिश्चय किया है कि यूटीएस-सह-पीआरएस की स्वीकृति के लिए शक्तियाँ क्षेत्रीय रेलों को प्रत्यायोजित की जाएं.

2. औचित्यपूर्ण पाए गए स्थानों पर संयुक्त यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल लगाए जाने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए:

(i) ऐसे सभी स्टेशनों पर, चाहे वह किसी भी श्रेणी के हों, जहां 'मैनुअल आरक्षण कोटा' चल रहा हो और जहाँ अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) काउंटर शुरु किया गया या स्वीकृत हो, उसे संयुक्त यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल में परिवर्तित किया जा सकता है.

(ii) दिनाकं 04-10-2013 के पत्र सं. 2008/सीएंडआइएस/न्यू पीआरएस पॉलिसी/15 द्वारा यथानिर्धारित मौजूदा पीआरएस नीति के पैरा (xi) के अनुदेशों के तहत मौजूदा रेलहेड पीआरएस केंद्रों को संयुक्त यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल में परिवर्तित किया जा सकता है.

(iii) यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल को कमर्शियल क्लर्क/सहायक स्टेशन मास्टर/पूछताछ क्लर्क सह आरक्षण क्लर्क द्वारा चलाया जाना चाहिए, जिसे संयुक्त टर्मिनल के संचालन का प्रशिक्षण मंडल कार्यालय में दिया जा सकता है.

(iv) टिकट खरीदने के लिए आने वाले यात्रियों और कतार के बेहतर प्रबंधन के लिए आरक्षण खिड़की के विन्यास में समुचित परिवर्तन कर के मौजूदा बुकिंग कार्यालय में संयुक्त यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल शुरु किए जा सकते हैं.

(v) संयुक्त यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल शुरु करने के लिए, अतिरिक्त प्रिंटरों या प्रिंटर स्विचों इत्यादि के लिए किए जाने वाले खर्च के सिवाय, सामान्यत: कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाना चाहिए.

(vi) क्षेत्रीय रेलें एक या उससे अधिक टर्मिनलों को संयुक्त यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल के रूप में चलाए जाने का निर्णय स्वयं ले सकती है. इसके अलावा संबंधित टिकट (पीआरएस या यूटीएस) वितरण के लिए एक ही या अलग-अलग कतार बनाए जा सकते हैं ताकि पीआरएस एवं यूटीएस दोनों ही कतारों के लिए टिकटें आसानी से वितरित की जा सके. इसके लिए रेलें, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी टाइमिंग में समुचित बदलाव कर सकती हैं.

पृ.2 पर जारी

3. क्षेत्रीय रेलें निम्न शर्तों के अधीन यूटीएस टर्मिनल को यूटीएस-सह-पीआरएस टर्मिनल में परिवर्तित कर सकती हैं:

a) प्रस्ताव पर संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक की निजी स्वीकृति और संबंधित वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति ज़रूरी होगी.

b) बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निबंधन व शर्तों के अनुसार सभी स्थल स्वीकृत किए जाएंगे.

4. इस पत्र को बोर्ड के दिनांक 28-03-2007 के पत्र सं. 2005/सीएंडआइएस/यूटीएस-कम-पीआरएस/पॉलिसी का अधिक्रमण करते हुए जारी किया जाता है.

इसे रेल मंत्रालय के वाणिज्य निदेशालय के परामर्श और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.

(राजीव गुप्ता)
निदेशक/सीआइएस)

सं.2014/सीआइएस/यूटीएस-कम-पीआरएस/डेलेग./3 नई दिल्ली, दिनांक 14-10-2014

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें.
2. प्रमुख निदेशक, लेखापरीक्षा, सभी क्षेत्रीय रेलें.
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, सभी भारतीय रेलें.
2. कार्य. निदेशक/यात्री विपणन, रेलवे बोर्ड.
3. रेलवे बोर्ड की वित्त/व्यय-II एवं बजट शाखाएं.

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board
अनुलग्नक सहित जारी
Issue with Enclosure
जारी की तिथि
Date of Issue 17.10.14